

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215741 CG-DL-E-27012020-215741

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] No. 49] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2020/माघ 7, 1941 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2020/MAGHA 7, 1941

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 52(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऑक्सीटोसीन औषधि का किसी नाम या रीति में प्रयोग और उसकी विनिर्मिति, जिससे मानव और जन्तुओं को विशेष जोखिम अन्तर्वलित होने की संभावना हो, और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सं. सा.का.नि. 390(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 के संशोधन द्वारा लोक हित में उक्त औषधियों के आयात को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है:

और, औषधि ऑक्सीटोसीन और किसी नाम या रीति में उसकी विनिर्मिति के आयात को प्रतिषिद्ध करने के लिए उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 390(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 को जारी किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने परीक्षा, परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए ऑक्सीटोसीन के निर्देश मानकों के आयात को जारी करने के लिए विभिन्न पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऑक्सीटोसीन के निर्देश मानकों का आयात, उक्त औषधि के वाणिज्यिक निर्माण करने से पूर्व उसके परीक्षा, परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से आवश्यक है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन साम्रग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

506 GI/2020 (1)

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"12. परीक्षा, परीक्षण अथवा विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से आयात किए गए ऑक्सीटोसीन निर्देश मानकों के सिवाय, किसी नाम या रीति में ऑक्सीटोसीन और उसकी विनिर्मिति।"।

[फा. सं. एक्स.11014/2/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सं. सा.का.िन. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1074(अ), तारीख 30 अक्तूबर, 2018 द्वारा किया गया।

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

**G.S.R. 52(E).**—Whereas the Central Government, on being satisfied that the use of the drug Oxytocin and its formulation in any name or manner is likely to involve certain risk to human beings and animals, prohibited the import of the said drugs in public interest by amending the notification number G.S.R. 577(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1983 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 390(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018;

And whereas, subsequent to issuance of the said notification number G.S.R. 390(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018 for prohibition of import of drug Oxytocin and its formulation in any name or manner, the Central Government received representations from various stakeholders to allow import of Oxytocin reference standards for the purpose of examination, test or analysis;

And whereas, the Central Government is satisfied that import of Oxytocin reference standards is necessary exclusively for the purpose of examination, test or analysis before carrying out commercial manufacturing of the said drug;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 577(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1983, namely:—

In the said notification, in the Table, for serial number 12 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

"12. Oxytocin and its formulation in any name or manner except Oxytocin reference standards imported exclusively for the purpose of test and analysis.".

[F. No. X.11014/2/2018-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 577(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1983 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1074(E), dated the 30<sup>th</sup> October, 2018.